आख्या रिपोर्ट

A.B.C. Infrapromoters Pvt. Ltd., B-33 Somdatta Chamber-1, 5 Bhikaji Cama Palace, New Delhi-110066 को अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांकः 06/05/2016 को सहायक अभियन्ता–तृतीय एवं जिलेदार, सिंचाई खण्ड, लखनऊ की संयुक्त रूप से की गयी जांच आख्या रिपोर्ट

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके पत्रांक सं0: 765/सिं0ख0ल0/दिनांकः 04.05.2016 के कम में दिनांकः 06.05.2016 को सहायक अभियन्ता–तृतीय व जिलेदार, सिंचाई खण्ड, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गयी जो निम्न प्रकार हैः–

मौके पर **A.B.C. Infra Promoters Pvt. Ltd.** द्वारा उपलब्ध कराये नक्शे (13 गाटाओं) के आधार पर ग्राम–कटरा बक्कास के गाटा नं0 2675, 2694 व 2695 का सम्बन्धित तहसील के लेखपाल द्वारा पैमाईश कराई गयी। पैमाईश में एवं विभागीय रिकार्ड के अवलोकन के उपरान्त निम्न तालिका के अनुसार क्षेत्रफल पाया गयाः–

क0	ग्राम का नाम	गाटा सं0	गाटा के कुल रकबा (60 साला रिकार्ड के अनुसार)	विभाग द्वारा स्थाई रूप से अधिग्रहित भूमि	A.B.C. Infra Promoters Pvt. Ltd. द्वारा कृषक से कय की गयी भूमि	अवशेष कृषक भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1.	बक्कास	2675	0–17–0 (0.215 हे0)	0–14–18 (0.188 हे0)	0–1–0 (0.013 हे0)	0–1–2 (0.015 हे0)
		2694	1–19–10 (0.4993 हे0)	0–1–0 (0.013 हे0)	1–16–6 (0.4583 हे0)	0–2–4 (0.028 हे0)
		2695	1–18–0 (0.4806 हे0)	1–14–12 (0.4376 हे0)	0–1–13 (0.021 हे0)	0–1–15 (0.022 हे0)

अतः उपरोक्त तालिका में दिये गये विवरण जो सजरा लैण्ड प्लान, पोषक नहर के अनुमोदित लम्ब छिन्नक एवं सम्बन्धित अभिलेखों के अनुसार सम्बन्धित तहसील के लेखपाल एवं अधोहस्ताक्षरियों द्वारा मौके पर कराई गयी पैमाईश से स्पष्ट है कि A.B.C. Infra Promoters Pvt. Ltd. द्वारा अवशेष कृषक भूमि से जो भूमि कय की गयी है उसका कोई भी सम्बन्ध सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहित की गयी भूमि से नहीं है तथा यह शारदा सहायक पोषक नहर के मध्य से 64.00 मी0 की परिधि से अधिक दूरी पर स्थित है।

आख्या रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अनिल कुमार शुक्ल)
जिलेदार,
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

(संजीव कुमार)
सहायक अभियन्ता–तृतीय
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

नीलाम कार्यवाही

आज दिनांक 6.5.16 को ग्राम
बबकांग में पत्रांक 114/नीलाम/
नि.आ.वि./जि.ख.अ./मूर्ति/दिनांक 16.4.16
के संदर्भ में 2675, 2694 2995
की नीलामी हेतु खनिज विभाग के अधिकारी-
गण की उपस्थिति में की गई।

अनिल कुमार शुक्ल
लिपिक

सुधीर कुमार शर्मा
प्रधान
बबकांग

Traffic NOC

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, यातायात लखनऊ

पत्रांक: एसटी/एसपीटी–एनओसी–19/2016 दिनांक: अक्टूबर 4, 2016

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
मानचित्र सेल (सिस गोमती)
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग लालबाग, लखनऊ

कृपया अपने पत्र संख्या: 20/एए मानचित्र सेल/2016 दिनांकित 22.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से मैसर्स ए0बी0सी0 इन्फ्राप्रोमोटर्स, प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या: 2678–1, 2688–2, 269271, 2695–1, 2677, 2693, 2694, 2677, 2833, 2834, 2837, 2675, बक्कास, सुलतानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित समूह आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति हेतु विवरण मय मानचित्र जरिये विशेष वाहक प्रेषित करते हुए यातायात पुलिस विभाग से आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबन्ध में अवगत कराना है कि मैसर्स ए0बी0सी0 इन्फ्राप्रोमोटर्स, प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या: 2678–1, 2688–2, 269271, 2695–1, 2677, 2693, 2694, 2677, 2833, 2834, 2837, 2675, बक्कास, सुलतानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित समूह आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र में प्रस्तावित स्थान पर दो/चार पहिया वाहन पार्किंग के संबन्ध में आपके माध्यम से प्राप्त नक्शा **(जिस पर इस कार्यालय द्वारा प्रदर्श 'क' डाला गया है, श्री हरीश मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर दिनांकित 21.09.2016 तथा निरीक्षक यातायात, लखनऊ के हस्ताक्षर दिनांकित 01.10.2016 अंकित है)** पर भौतिक निरीक्षण कराकर आख्या प्राप्त की गयी। प्रकरण में निरीक्षक यातायात द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 01.10.2016 शर्तों एवं बचनबद्धताओं के अधीन संस्तुति सहित प्राप्त हुई है। अतः निरीक्षक यातायात, लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर वाहन पार्किंग के परिप्रेक्ष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जो मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित है। **यदि उक्त नक्शा एल.डी.ए. द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है तो तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।**

संलग्नक: यथोपरि।

4/X/16

(हबीबुल हसन)
पुलिस अधीक्षक, यातायात,
लखनऊ

पुलिस अधीक्षक यातायात
जनपद लखनऊ।

द्वारा–उचित माध्यम

महोदय,

कृपया आप अपने पत्रांकः एसटी/एसपीटी–एनओसी–19/2016 दिनांकः सितम्बर 02.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें सहायक अभियन्ता मानचित्र सेल, (सिस गोमती) लखनऊ विकास प्राधिकरण 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, जनपद लखनऊ के पत्र संख्याः 20/एए मा.सेल/2016 दिनांकः 22.07.2016 जिसमें मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फाप्रोमोटेर्स, प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्याः 2678–1, 2688–2, 269271, 2695–1, 2677, 2693, 2694, 2677, 2833, 2834, 2837, 2675 बक्कास, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवासीय के निर्माण एवं वाहन पार्किंग के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त आख्या/आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि उक्त स्थल का मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि उक्त स्थान बक्कास, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ पर स्थित है जिसमें मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फाप्रोमोटेर्स, प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्याः 2678–1, 2688–2, 269271, 2695–1, 2677, 2693, 2694, 2677, 2833, 2834, 2837, 2675 बक्कास, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवासीय के निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित समूह आवासीय निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुत मानचित्र में निम्न तथ्य समाहित है।

AREA STATEMENT:

1-PLOT AREA	=24870.000 SQM.
2-PERMISSIBLE GROUND COVERAGE 35%	=8704.500 SQM.
3-PERMISSIBLE FAR (2.5 OF PLOT AREA)	=62175.000SQM
4-PERMISSIBLE NO OF UNIT @ 450 UNITS/HAC	=1119
5-REQUIRED NO. OF TREES@ 50 NOS/HAC	=124 TREES
6-REQUIRED NO. OF PARKING	
BETWEEN AREA 50- 70SQ.MT. @ 1ECS/2 UNITS	=572/2 ECS
ABOVE AREA 70 SQ.MT. @ 1ECS/UNITS	=182 ECS
	=468 ECS

ACHIEVED AREAS:

7-ACHIEVED GROUND COVERAGE	=4420.950 SQM.
8-TOTAL ACHIEVED FAR	=55765.96 SQM.
9-NO.OF UNITS PROVIDED	=754 FLAT
10-PROVIDED LANDSCAPE GREEN	=4080.90 SQM.
11-PROVIDED NO. OF TREES	=129 TREES
12-PROVIDED NO. OF PARKING	
13-SURFACE AND STILT	=569
TOTAL PARKING	**=569 CARS**

उपरोक्त भूखण्ड/खसरा पर समूह आवासीय का निर्माण तीन ब्लाक में होना प्रस्तावित है। जिसमें 754 आवास का निर्माण होना दर्शाया गया है, उपरोक्त आवासीय भवन में आने वाले वाहनों को पार्किंग हेतु ओपेन एरिया में 464 वाहनों तथा स्टील्ट एरिया में 103 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था मानचित्र में दर्शायी गयी है, इस प्रकार कुल 567 वाहनों की पार्किंग लखनऊ विकास प्राधिकरण योजना के मुताबिक दी गयी है। इस प्रकार उक्त स्थल पर आने वाले वाहनों से यातायात सम्बन्धी अवरोध उत्पन्न होना प्रतीत नहीं हो रहा है। उक्त स्थल पर आने वाले समस्त दो पहिया, चार पहिया एवं अन्य वाहनों की सम्पूर्ण पार्किंग बने पार्किंग स्थल के प्रांगण में ही होगी किसी भी कारण या परिस्थिति में वाहनों की संख्या में वृद्धि होने पर प्रत्येक दशा में बढ़े वाहनों को बने पार्किंग स्थल के प्रांगण में पार्क कराया जायेगा। इसके अलावा मेसर्स द्वारा यह भी वचनवद्धता

की जाये कि इन एवं आउट गेट पर दो–दो सुरक्षा गार्ड लगाये जाये तथा भवन के प्रत्येक तल पर पी0ए0 सिस्टम लगाये जाये ताकि किसी भी वाहन के गलत पार्क होने पर सुरक्षा गार्ड द्वारा उद्घोषणा करके हटवाया जा सके। उपरोक्त के अलावा मेसर्स द्वारा यह भी वचनबद्धता की जाये की परिसर के वाहर किसी भी प्रकार का अतिकमण जैसे, वाहन स्टैण्ड, ढेला, खोपचा, चाय–पान की दुकानें आदि नही लगने दिया जाये उपरोक्त वर्णित वचनबद्धताओं के अनुपालन में मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फाप्रोमोटेर्स, प्रा0लि0 द्वारा शपथ पत्र दिया गया है जो कि मूलरूप में संलग्न है।

अतः मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फाप्रोमोटेर्स, प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्याः 2678–1, 2688–2, 269271, 2695–1, 2677, 2693, 2694, 2677, 2833, 2834, 2837, 2675 बक्कास, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवासीय के निर्माण पर उपरोक्त संलग्न वचनबद्धताओं के अधीन प्रस्तावित निर्माण में **वाहन पार्किंग** के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

(शीतला प्रसाद पाण्डेय)
यातायात निरीक्षक
लखनऊ

संलग्नकः यथोपरि से संदर्भित मानचित्र मूल रूप में वापस।

नोटः उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने एवं यातायात वाधित होने पर N.O.C निरस्त समझी जायेगी।

Electricity

कार्यालय उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ रीजन, विभूति खण्ड–2, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या : 1854 वि0सु0नि0/ल0री0/एच0टी0/निरीक्षण दिनॉक 30.9.2016

सेवा मे,

सहायक अभियंता–मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6, जगदीश चन्द वोस मार्ग,
लखनऊ

कार्यालय
उप निदेशक विद्युत सुरक्षा
उ0प्र0 शासन विभूति खण्ड-2
गोमती नगर, लखनऊ-226010

विषयः– खसरा सं0–2678–1,2688–2,2692–1,2695–1,2677,2693,2694,2677,2833,2834,2837,2675,2677 बक्कास,सुलतानपुर रोड, लखनऊ के तल पट मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– आपका पत्र संख्या–20 ए.ए. मा0सेल/6 दिनांक 22–07–2016

महोदय,

कृपया विषयक स्थल का निरीक्षण दिनांक 14–09–2016 को किये जाने पर आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये तल पट मानचित्र में विषयगत स्थल पर किसी प्रकार शिरोपरि विद्युत लाइन इत्यादि नहीं पाई गयी।

अतः प्रस्तावित भवन पर निर्माण किये जाने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यदि भविष्य में कोई विद्युत लाइन अथवा अन्य विद्युत उपस्कर प्रयोग में लाया जाता है तो समस्त निर्माण भारतीय विद्युत नियमावली,1956 के नियमों का अनुपालन कराते हुए ही कराया जाये।

भवदीय,

(शिशिर श्रीवास्तव)
उपनिदेषक
विद्युत सुरक्षा, लखनऊ रीजन लखनऊ।

संख्या : वि0सु0नि0/ल0री0/एच0टी0/निरीक्षण , तददिनॉक :–

उपरोक्त की प्रतिलिपि मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फाप्रोमोटर्स,प्रा0लि0,2–345 विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित

(शिशिर श्रीवास्तव)
उपनिदेषक
विद्युत सुरक्षा, लखनऊ रीजन लखनऊ।

उप निदेशक
विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन
लखनऊ रीजन, लखनऊ

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ

पत्रसं0न–31/एफ.एस–2016

दिनांक:अक्टूबर, 07 2016

सेवा में,

सहायक अभियन्ता मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ,

Fire NOC

विषय :–खसरा संख्या: 2678–1, 2688–2, 2692–1, 2695–1, 2677, 2893, 2894, 2677,2833, 2834, 2837, 2675, 2677, ग्राम–बक्कास, सुल्तानपुर रोड लखनऊ पर मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फाप्रमोटर्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित समूह आवासीय भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में ।

कृपया अपने पत्र संख्या:20/एए मानचित्र सेल–16,दिनॉक:22.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो उपरोक्त विषयक है ।

उक्त विषयक पत्र दिनॉक 20.09.2016 के कम में आवेदक द्वारा भवन का संसोधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया जिसका एन0बी0सी0–2005 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से पुनः निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 द्वारा कराया गया तो ,निम्न तथ्य प्रकाश में आए:–

भवन की संरचना :–

1– कुल भूखण्ड एरिया 24870.0 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

2– प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन ए–01, ए–02, ए–03, बी–01, बी–02, सी–01 सी–02 व सी–03 का कुल ग्राउण्ड कवरेज 4440.940 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है

3– प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवनों का कुल टिपिकल फ्लोर एरिया 55889.85 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

4– भवन की अधिकतम् ऊँचाई 42.300 मीटर है ।

भवन का अधिभोग ऍव हैजार्ड श्रेणी –प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 में आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढॉचागत व्यवस्था :–

1– **पहुँच मार्ग** :–भूखण्ड के सामने मानचित्र में 50.0 मीटर रोड की चौडाई अंकित है ।

2– **प्रवेश/निकास द्वार की चौडाई** :–भवन परिसर में प्रवेश / निकास हेतु 02 गेट प्रस्तावित है, जिसकी चौडाई 4.50–4.50 मीटर से कम न रखी जाए ।

3– **सेटबैक** :– प्रस्तावित भवन का न्यूनतम् सेटबैक निम्नवत् है –

- अग्रभाग – 13 मीटर, ।
- पृष्ठभाग – 13 मीटर, ।
- पार्श्व भाग प्रथम – 13 मीटर, ।
- पार्श्व भाग द्वितीय – 13 मीटर, ।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा ।

4– **निकास मार्ग** :– प्रस्तावित भवनों के टावर ए–01 में तीन स्टेयरकेश तथा ए–02, ए–03, बी–01, बी–02, सी–01 सी–02 व सी–03 में कुल 02–02 स्टेयरकेश प्रत्येक की चौडाई 1.50–1.50 मीटर मानचित्र में प्राविधान किया गया है,जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रैवलिंग डिसटेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

5– **रिफ्यूज एरिया का का विवरण** – भवन में बालकनी प्राविधानित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :–एन0बी0 सी0 –2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निषमन व्यवस्थायें पूर्ण किये जाने अनिवार्य है –

1– **भूमिगत टैक** :–भवन परिसर में भूमिगत टैंक 200 के.एल. क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है

2– **पम्प** :–अन्डर ग्राउन्ड टैंक के पास मैन पम्प 2850 एल0पी0 एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प,समकक्ष क्षमता का, डीजल चालित पम्प 2850 एल0 पी0 एम0 क्षमता एवं,जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का मानचित्र में प्रविधानित है ।

3– **होजरील** :–प्रस्तावित भवनों में होजरील ,लैडिंग वाल्व,आई0एस0 –3844 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

4— **वेटराइजर** :—प्रस्तावित भवनों के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरुप अंकित है ।

5— प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेंट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0 एस0 13039:1991 के अनुसार लगाया जाना आवश्यक होगा ।

6— **हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम** :—मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

7— **स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम** :—भवन में आवश्यक नही ।

8— **स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम** :— भवन में आवश्यक नही ।

9— **टैरिस टैंक** :—प्रश्नगत भवनों के टैरिस पर 10000—10000 लीटर पानी के क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित किया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

10— **टैरिस पम्प** :—प्रश्नगत भवन में आवश्यक नही ।

11— **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर)** :—प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूसर आई0एस0 2190—2010 के अनुसार मानचित्र में अंकित है ।

12— **एक्जिट साइनेज** :—सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज प्राविधानित किये जाने होगें ।

13— **पी0ए0 सिस्टम** :—पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित किया जाना अनिवार्य होगा ।

14— प्रश्नगत भवन में **इमरजेंसी/एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0—2005 ,पार्ट—04 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

15— भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0—2005 पार्ट—04 के प्रस्तर—सी—05,सी—07,सी—08 व सी—09 में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा ।

16— भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट , स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोड़ा जाना आवश्यक होगा ।

उपरोक्तानुसार मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फ्राप्रमोटर्स प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्याः 2678—1, 2688—2, 2692—1, 2695—1, 2677, 2893, 2894, 2677,2833, 2834, 2837, 2675, 2677, ग्राम—बक्कास, सुल्तानपुर रोड लखनऊ पर प्रस्तावित समूह आवासीय भवन के निमार्ण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन /इकाइयो में अग्नि से सुरक्षा संबंधी सभी प्रस्तावित प्राविधान व इस पत्र में अंकित शर्तो व भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया —2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त ,भवन का प्रयोग करने से पहले प्राविधानित एवं शर्तो के अनुसार भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानक के अनुसार भैतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा । अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्नक :01सेट मानचित्र

07.10.2016

(ए0बी0पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

लखनऊ

प्रतिलिपि —

1— अग्निशमन अधिकारी,पी0जी0आई0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

2— मेसर्स, ए0बी0सी0 इन्फ्राप्रमोटर्स प्रा0लि0 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Phone: (Office) 0522-2287068
Fax : (Office) 0522-2286471
(Office) 0522-2287233
E-mail: upgwd-m@gmail.com
Website-http://gwd.up.nic.in

प्रषक,

सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट,
भूगर्भ जल विभाग, तृतीय तल,
सर्वोदय नगर, विकास भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
ए0बी0सी0, इंफ्रा प्रमोटर प्रा0लि0।

पत्रांकः– 5276 /भू0ज0वि0/एन0ओ0सी0, दिनांक लखनऊ, फरवरी, 21 2017

विषयः– अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–436/62–1–2004–863/98, दिनांक 25–05–2014 में दिये गये निहित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित धनराशि रू0 5,000/–ट्रेजरी चालान फार्म द्वारा शासकीय कोषागार, लखनऊ में जमा कराकर उसकी मूल प्रति निदेशक, ए0बी0सी0, इंफ्रा प्रमोटर प्रा0लि0 ने कार्यालय में प्रेषित करते हुए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में आप द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार प्रश्नगत ए0बी0सी0, इंफ्रा प्रमोटर प्रा0लि0, ग्राम–बक्कास, सुल्तानपुर, के अन्तर्गत एक बोरवैल से औद्योगिक पेयजल/घरेलू कार्यो हेतु प्रतिवर्ष लगभग 15,000 किलो लीटर प्रतिदिन में एक बोरवेल भूजल दोहन किया जायेगा। जो कि जनपद–लखनऊ के विकासखण्ड–गोसाईगंज के अन्तर्गत है। जो कि भूजल संसाधन आंकलन 31–03–2011 के अनुसार सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत है।

जिसके दृष्टिगत भूजल दोहन की अनुमति शासनादेश सं0–436/62–1–2004–863/98, दिनांक 25–05–2004 के प्रस्तर में दिये गये निदेशों के कम में ए0बी0सी0, इंफ्रा प्रमोटर प्रा0लि0 को उनके प्रस्ताव के कम में एतद्द्वारा निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1–भूजल स्तर के नियमित अनुश्रवण हेतु ए0बी0सी0, इंफ्रा प्रमोटर प्रा0लि0 द्वारा स्वंय की लागत पर एक पीजोमीटर (डिजिटल वाटर लेवल रिकार्ड सहित) की स्थापना, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 के शासन के शासनादेश सं0–2529/55पर्या/04, दिनांक 20–12–2004 में किये गये प्राविधान के अनुसार की जायेगी।

2–वर्ष में दो बार(प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून काल में) भूजल स्तर एवं भूजल गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जायेगा तथा आंकडे भूगर्भ जल विभाग, निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।

3–नलकूप द्वारा भूजल दोहन की मात्रा ज्ञात करने हेतु ए0बी0सी0, इंफ्रा प्रमोटर प्रा0लि0 द्वारा वाटर मीटर लगाया जायेगा तथा प्रतिमाह में कुल भूजल दोहन की मात्रा आंकलित किया जायेगा, संबंधित सूचना भूगर्भ जल विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

4– ए0बी0सी0, इंफ्रा प्रमोटर प्रा0लि0 परिसर में जल बचत/संरक्षण के सामान्य उपकरण अपनाये जायेंगे।

5–उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र दो वर्ष के लिए मान्य होगा।

उपर्युक्त शर्तो के उल्लघंन की दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(रवि[illegible] सिंह)
सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट।

तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

दूरभाष : ०५२२-२७२२२३२
Phone : 0522-2722232

सन्दर्भ सं०
Ref. No. 1299/NOC-2034/A/17

दिनांक
Dated : 24/6/17

सेवा में,

मैसर्स एक्सेल्ला कुटुम्ब,
द्वारा-श्री किशोरी गोयल,
फ्लैट नं0-504, सूर्या लेक व्यू अपार्टमेण्ट, विकल्प खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से प्रस्तावित मै0 एक्सेल्ला कुटुम्ब प्लाट नं0-2678/1, 2688/2, 2692/1, 2695/1,2677,2693,2694,2833,2834,2837,2675, ग्राम-बक्कास, सुल्तानपुर रोड,लखनऊ के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 23/12/16 को प्राप्त हुआ है तथा परियोजना के सम्बन्ध में सूचना दिनांक 20.06.17 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र, अभिलेखों, प्रदूषण नियंत्रण हेतु जमा प्रस्ताव के अवलोकन, तथा स्थल के निरीक्षणोपरान्त आपके निर्माणाधीन स्थल प्लाट नं0-2678/1, 2688/2, 2692/1, 2695/1,2677,2693, 2694, 2833, 2834, 2837, 2675, ग्राम-बक्कास, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ पर ग्रुप हाउसिंग (754 आवासीय फ्लैट्स) कुल बिल्टअप एरिया-62161.81 वर्ग मीटर के निर्माण हेतु पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. ग्रुप हाउसिंग की स्थापना का कार्य प्लाट नं0-2678/1, 2688/2, 2692/1, 2695/1, 2677, 2693, 2694, 2833, 2834, 2837, 2675, ग्राम-बक्कास, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ पर ग्रुप हाउसिंग (754 आवासीय फ्लैट्स) कुल कवर्ड एरिया-62161.81 वर्ग मीटर का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर आवासीय परियोजना की स्थापना हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही ग्रुप हाउसिंग का निर्माण किया जायेगा।
3. ग्रुप हाउसिंग से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु परियोजना के निर्माण के उपरान्त उचित क्षमता का सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट ग्रुप हाउसिंग के संचालन से पूर्व करना अनिवार्य होगा तथा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को शत-प्रतिशत सिंचाई/फ्लशिंग इत्यादि में प्रयोग कर शून्य किया जायेगा एवं किसी भी दशा में परिसर के बाहर निस्तारित नहीं किया जायेगा ।
4. परियोजना के निर्माण के दौरान कार्मिकों द्वारा जनित होने वाले घरेलू जल/मल के निस्तारण हेतु उचित क्षमता का सेप्टिक टैंक/सोक पिट का निर्माण किया जाना उचित होगा।
5. इकाई द्वारा ग्रुप हाउसिंग के उपभोग प्रारम्भ करने से पूर्व बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
6. ग्रुप हाउसिंग में प्रस्तावित 2×1000 के0वी0ए0 एवं 1×500 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट पर बोर्ड मानकों के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एक्जॉस्ट (चिमनी) की ऊंचाई ग्रुप हाउसिंग के ऊपरी छत से 2.0 मी0 ऊंची रखी जायेगी।
7. इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

• PICUP Bhawan, 4th Floor, B-Block Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 • पिकप भवन, चतुर्थ तल, बी-ब्लाक, गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०
Email : rolucknow@uppcb.com

8. ग्रुप हाउसिंग से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का सेग्रीगेशन स्रोत पर करते हुये सालिड वेस्ट नियम-2016 के अनुसार निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था की जायेगी।
9. निर्माण कार्य के दौरान धूल से प्रदूषण के रोकथाम हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग की उचित व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जायेगें। निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावानुसार उचित पर्यावरण प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा।
10. ग्रुप हाउसिंग में आवश्यकता के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिर्चाजिग की व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य होगा ।
11. परियोजना का कुल बिल्टअप क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर से अधिक है। अतः स्टेट लेवल इन्वायरमेण्ट इम्पेक्ट असेसमेंण्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा।
12. परियोजना के निर्माण के दौरान एवं परियोजना के उपयोग हेतु भू-गर्भ जल दोहन के संबंध में राष्ट्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
14. वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग हेतु सोलर एनर्जी पैनल की स्थापना किया जाये।
15. इकाई परिसर के बाहर किसी भी दशा में वाहनों की पार्किंग इत्यादि नहीं किया जायेगा।
16. निर्माण के दौरान जनित मलबा तथा तोड़-फोड़ से जनित ठोस अपशिष्टों का एकत्रण एवं निस्तारण इस प्रकार से किया जाये, ताकि आस-पास की आबादी एवं यातायात पर उक्त का कुप्रभाव न पड़े।
17. परिसर में यथा सम्भव परिसर में खाली स्थानों पर नियमानुसार हरितपट्टिका का विकास किया जाना सुनिश्चित करें।
18. आकस्मिक दुर्घना से बचाव हेतु सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा।
19. इकाई की स्थापना का कार्य इस प्रकार से किया जाये कि आस-पास के वातावरण तथा जन-मानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
20. परियोजना का उपभोग करने से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा-25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा 21 के अंतर्गत राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा परियोजना की प्रगति आख्या प्रत्येक 03 माह में प्रेषित करें अन्यथा शर्तों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित न करने पर यह आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

1 PWD - Ricivin9 copy. - Complit

PWD

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक :–	सेवा में,
सहायक अभियन्ता, मानचित्र सेल (सिस गोमती) लखनऊ विकास प्राधिकरण, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ।	1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ। 2. एस0पी0 यातायात। 3. विद्युत विभाग। 4. तहसीलदार–मोहनलालगंज 5. एयरपोर्ट एथारिटी 6. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग 7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
संख्या 20/AA: मानचित्र सेल दिनांक : 22-7-16	पत्थी........................

–: विषय :–

खसरा संख्या : 2678–1, 2688–2, 2692–1, 2695–1, 2677, 2693, 2694, 2677, 2833, 2834, 2837, 2675, 2677, बक्कास, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित समूह आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फ्राप्रोमोटर्स, प्रा0लि0 द्वारा खसरा संख्या : 2678–1, 2688–2, 2692–1, 2695–1, 2677, 2693, 2694, 2677, 2833, 2834, 2837, 2675, 2677, बक्कास, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित समूह आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर आपके विभाग की अनापत्ति/आपत्ति आख्या की आवश्यकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि अपने विभाग की अनापत्ति/आपत्ति आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रस्तुत समूह आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र पत्रावली का शीघ्र निस्तारण कराया जा सके।

संलग्नक :

1. समूह आवासीय मानचित्र।
2. भूस्वामित्व अभिलेख।

3/8/16

भवदीय

सहायक अभियन्ता मानचित्र सैल

प्रतिलिपि :– मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फ्राप्रोमोटर्स, प्रा0लि0, 2–345, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तुत प्रस्तावित समूह आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र पर अनापत्ति आख्या स्वयं प्रयास से प्राप्त कर शीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सहायक अभियन्ता मानचित्र सैल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक: दिनांक:

सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
मानचित्र सेल (सिस गोमती)
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
लालबाग, लखनऊ।

विषय: निर्माणाधीन किसान पथ के किनारे प्रस्तावित समूह आवासीय निर्माण हेतु अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक 20/ए0ए0 मानचित्र सैल दिननांक 22.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किसान पथ का निर्माण कार्य प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सिंचाई विभाग से उपलब्ध कराई गई भूमि में किया जा रहा है, जिस हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। वर्तमान में उक्त का स्वामित्व सिंचाई विभाग के पास है।

अतः आपके द्वारा प्रस्तावित समूह आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र को स्वीकृत करने की यथोचित कार्यवाही एवं अनापत्ति/आपत्ति सिंचाई विभाग से प्राप्त करनी होगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक: 3713/M-35/16 दिनांक: 5/10/16

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. मेसर्स ए0बी0सी0 इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा0लि0, 2-345 विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

E:\Computer-1\Riyaz\letters\Steno Sir\16-17\noc lda.doc

NOC
Sichai Vibhag

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

पत्रांक- C-80 /सिं0ख0ल0/ दिनांक-13-5-16 लखनऊ

विषय-A.B.C Infrapromoters Pvt. Ltd के पत्र दिनांक-22.02.16 के सम्बन्ध में।

M/S A.B.C Infrapromoters Pvt. Ltd, B-33 Somdatt Chamber, 1.5 Bhikaji Cama Palace, New Delhi-110066

उपरोक्त "विषय के सन्दर्भ में सहायक अभियन्ता-तृतीय, जिलेदार, सिंचाई खण्ड, लखनऊ व सम्बन्धित तहसील के लेखपाल द्वारा मौके पर जाकर संयुक्त पैमाईश व निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या संलग्नकों सहित आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः-1. सहायक अभियन्ता-तृतीय द्वारा
उपलब्ध करायी गयी आख्या।
2. लेखपाल की आख्या।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

पत्रांक- /सिं0ख0ल0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-तृतीय, सिंचाई खण्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक-242/ई0सी0/स0अभि0तृ0/भूमि/दिनांक-12.05.16 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

इनवर्ड सं० 1200
दिनांक 12/5/16

कार्यालय
सहायक अभियन्ता-तृतीय
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

पत्रांक- 242 /सहा0अभि0तृ0/ दिनांक- 12/5/16 लखनऊ

विषय-A.B.C Infrapromoters Pvt. Ltd के पत्र दिनांक-22.02.16 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-आपके कार्यालय के पत्रांक-765/सि0ख0ल0/भूमि/एल-3,दिनांक-04.05.16 के अनुपालन में।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लखनऊ।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक- 222/भूमि/दिनांक-05.05.16 को जिलेदार सिंचाई खण्ड, लखनऊ को पत्र लिखकर संयुक्त रूप से निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र निर्गत किया गया। दिनांक-06.05.16 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा एवं जिलेदार, सिंचाई खण्ड, लखनऊ व सम्बन्धित तहसील के लेखपाल द्वारा मौके पर जाकर पैमाईश व निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि ग्राम-कटरा बक्कास के गाटा न0-2675, 2694, 2695 में शेष बची भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की गयी भूमि से अलग है, इसका कोई सम्बन्ध A.B.C Infrapromoters Pvt. Ltd., B-33 Somdatt Chamber, 1.5 Bhikaji Cama Palace, New Delhi-110066 के द्वारा खरीदी गयी भूमि सें नहीं है।

संलग्नकः-1. संयुक्त जांच रिपोर्ट।
2. लेखपाल की आख्या।
3. शजरा लैण्ड प्लान।
4. विलेख पत्र व खतौनी।
5. साइट् प्लान।
6. कय भूमि का विवरण।

Kamlesh

12/5/16
सहायक अभियन्ता-तृतीय
सिंचाई खण्ड, लखनऊ
12/5/16